कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

निसल नं0 45/18

दिनांक:– 10-05-2018

:: निर्णय /डिकी ::

श्री गोतम पि रूपसी 1/2 डुकी पत्नि रामजी तारा पत्नि मनोज 1/4 पटेल हि. ब. सह खातेदारों ने न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत केम्प हथाई में उपस्थित होकर सहमति बटवारा करने हेतु वाद पेश किया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहखातेदारों द्वारा ग्राम सतु की जमाबंदी संवत् 2070-73 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति तथा बंटवारा स्कीम जिसमें प्रत्येक का आने वाला हिस्सा एवं लगान को दर्शाया गया है तथा नक्शा ट्रेस जिसमें प्रत्येक के आने वाले हिस्सें को पृथक –2 रंग से दर्शाया गया है प्रस्तुत किया गया । बंटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस के संबंध में पटवारी हल्का एवं भू0अ0 निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट ली गई। एवं तहसीलदार द्वारा सहमति अनुसार बटवारें की अभिशंषा की गई ।

ग्राम सतु पटवार हल्का हथाई की जमाबंदी सम्वत् 2070-73 की प्रमाणित प्रति अनुसार खाता संख्या 87 नया 76 पुराना खसरा नं0 363, 366, 372, 1774, 1882, 1890, 1923, 1925, 1926, 1934 योग किता 10 योग रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा 5 बीघा 6 बिस्वा में श्री गोतम पि. रूपसी 1/2 डुकी पत्नि रामजी तारा पत्नि मनोज 1/2 हि. ब. सहखातेदार है। बंटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम सतु के खाता नं0. 87 नया 76 पुराना के खसरा नं0 363, 366, 372, 1774, 1882, 1890, 1923, 1925, 1926, 1934 योग किता 10 योग रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा का सहखातेदारो के मध्य प्रस्तुत बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस अनुसार बटवारा किया जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर निर्णय /डिकी की पालना सुनिश्चित कर राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल–दरामद की कार्यवाही करे। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस निर्णय/डिकी का अभिन्न अंग रहेगा ।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर